

25.05.2022:—आज यह पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी राजकुमार जरिये अधिवक्ता श्री श्री राय सिंह बेनिवाल स्वयं उपस्थित आकर निवेदन किया की उक्त वाद को आगे नही चलाना चाहता। वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री राय सिंह बेनिवाल द्वारा पहचान की गई। अतः वादपात्र वादी मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

★
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़